संख्याःजी–2–1699 / दस-2003

प्रेषक,

शिव प्रकाश,
विशेष सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक : 13 नवम्बर, 2003

विषय–जी० पी० एफ० लेखे से विशेष परिस्थितियों में अग्रिम आहरण / निष्कासन में निर्धारित नियमों का पालन न किया जाना।

महोदय,

वित्त सामान्य अनुभाग–2

उपर्युक्त विषय में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष परिस्थितियों में सामान्य भविष्य निधि लेखे से सरसरी तौर पर अत्यन्त सतही कारणों से अग्रिम / निष्कासन स्वीकृत किए जाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या जी-2-851 / दस-98-202/70, दिनांक 12-11-1998 तथा शासनादेश संख्या जी-2-912/दस-98-502/85, दिनांक 3-12-1998 द्वारा स्पष्ट निर्देश निर्गत किए गए थे। शासन के संज्ञान में यह बात लायी गयी है कि अभी भी कतिपय विभागों में अग्रिम / निष्कासन स्वीकृत किए जाते समय नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है यह स्थिति उचित नहीं है। उ० प्र० सामान्य भविष्य निर्वाह निधि नियमावली, 1985 के नियम 13 तथा 16 के अन्तर्गत अग्रिम / अन्तिम निष्कासन की स्वीकृतियां प्रदान करते समय प्राधिकारियों द्वारा सामान्य परिस्थितियों के प्रकरण में निर्धारित जमा राशि के 50 प्रतिशत की सीमा का अवलोकन नहीं किया जा रहा है और सामान्यतः 3/4 तक की धनराशि की स्वीकृतियां प्रदान की जा रही हैं। रिफण्डएविल एडवांस के संबंध में भी एक अग्रिम की वसूली पूरी होने के पूर्व ही दूसरा अग्रिम स्वीकृत एवं आहरित किया जा रहा है, जबकि नियम 13 के उप नियम 4 (दो) के अनुसार ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

अतः इस ओर आपका ध्यान पुनः आकर्षित करते हुए अनुरोध है कि सभी स्तरों पर नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।